(13)

संख्या 6/2/85-स्था0(वेतन-1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी, 1989

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों और टूर्नामेन्टों में भाग लिया जाना- इस विभाग के दिनांक 16-7-85 के कार्यालय ज्ञापन सं0 6/1/85-स्था0(वेतन-1) के उपबंधों की प्रयोज्यता ।

मुझे उपर्युक्त विषय से मिलते-जुलते स्वरूप के कतिपय संदेहपूर्ण मुद्दों के बारे में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए पत्रों का हवाला देते हुए स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट करने का निदेश हुआ है :-

संदेह के मुद्दे	स्पष्टीकरण
क) क्या दिनांक 16-7-85 के कार्यालय ज्ञापन की प्रसुविधाएं केवल उन्हीं तक सीमित हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा तैनात किया जाता है ।	दिनांक 16-7-85 के कार्यालय ज्ञापन के उपबंध, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने वाले/वाली केन्द्रीय सरकार के पुरुष/महिला खिलाड़ियों पर ही लागू होते हैं । यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें केवल भारत सरकार द्वारा ही तैनात किया जाना चाहिए ।
ख) क्या राष्ट्रीय खेल संगठनों की कोई सूची तैयार की गई है ।	मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों की एक सूची संलग्न है ।
ग) क्या भारत सरकार द्वारा भेजे गए खेल संगठनों द्वारा चुने गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दौरे पर होने की भांति यात्रा भत्ता अर्थात् दैनिक भत्ता अनुज्ञेय है अथवा केवल रेल किराया/हवाई यात्रा का किराया ही अनुज्ञेय है ।	ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें भारत के भीतर ही राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने के लिए चुन लिए जाते हैं उन्हें रेल की प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जाए । भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन संबंधी मामलों में, उन्हें किफायती श्रेणी से हवाई यात्रा करने का हकदार बनाया जाए ।
घ) क्या राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खेलों(इंडोर और आउटडोर	खेलों में भाग लेने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी पर माना जाता है और इसलिए

दोनों) के लिए वेतनवृद्धि पर विचार किया जाना है ।	वे दौरे पर होने की भांति ही नियमों के अधीन दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं ।
ड़) क्या मूल नियम 27 के अधीन यथा-परिभाषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा, कर्मचारियों द्वारा किए गए खेल प्रदर्शन के आधार पर मंजूर की जाने वाली वेतन-वृद्धियों की संख्या का निर्णय किया जाना है ।	जी, हां ।
च) क्या वेतनवृद्धि मंजूर करने की प्रभावी तारीख श्रेष्ठता हासिल करने की तारीख से आगामी माह की पहली तारीख से होगी ।	वेतनवृद्धि उस माह से अगले माह की पहली तारीख से मंजूर की जानी है जिसमें कि खेल समाप्त होते हैं ।
छ) क्या कर्मचारी द्वारा वेतनवृद्धि की मांग किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कीगई है ।	इसके लिए कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं की गई है । तथापि, श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को चाहिए कि वे जितनी जल्दी हो सके इसकी मांग करें ।
ज) क्या दिनांक 16-7-85 के कार्यालय ज्ञापन के उपबंध, विगत मामलों पर भी लागू होते हैं ।	दिनांक 16-7-85 के का0ज्ञा0 के उपबंध, इसके जारी होने की तारीख से ही लागू किए गए हैं और ये विगत मामलों पर लागू नहीं हैं ।
झ) क्या खेलों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में माने जाने संबंधी कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं ।	कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए गए हैं । तथापि, मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित किए जा रहे अलग-अलग खेलों में राष्ट्रीय चैमपियनशिपस को तथा भारतीय ओलों-म्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों को राष्ट्रीय स्तर का खेल माना जाना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त खेलों और जिनमें सरकार(युवा कार्य और खेल विभाग) के पूर्वानुमोदन से भाग लिया गया है, को भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खेल माना जाए ।
) क्या वेतनवृद्धि की दर को उस खेल विशेष की तारीख को, जिसमें कर्मचारी	वेतनवृद्धि समग्र प्रतियोगिताओं के समाप्त होने की तारीख के संदर्भ में होनी चाहिए ।

ने भाग लिया था, ले रहे वेतनमान के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए अथवा उस तारीख के संदर्भ में जिसको की समग्र प्रतियोगिताएं समाप्त होती है, निर्धारित किया जाए ।

ट) वेतनवृद्धि की दर- क्या यह संशोधन पूर्व वेतनमान में है अथवा संशोधित वेतनमान में ।

इस विभाग के दिनांक 7-11-88 के का0 ज्ञा0 सं0 6/1/85-वेतन द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

ठ) क्या दिनांक 16-7-85 के का0ज्ञा0 के उपबंध, वेटर्न मीट्स पर लागू होते हैं ।

जी, नहीं । ये उपबंध वेटर्न मीट्स पर लागू नहीं होते ।

2. जहां तक भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, इन आदेशों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है ।

एस0 हरिहरन

(एस0 हरिहरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।